न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 38/2022–23

–:आदेश:–

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, धनबाद से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, धनबाद के पत्रांक– 636, दिनांक– 15.05.2023 से जाँच प्रतिवेदन त्रुटिनिराकरण कर प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक 1. चण्डी रवानी, 2. संतोष रवानी, पिता– स्व0 किष्टो रवानी, दोनो साकिम– भूली बस्ती, रवानी टोला, नियर राम मंदिर, पो0– श्रमिक नगर, थाना– बैंक मोड़, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– नावाडीह, मौजा नं0– 02, गत् खाता सं0– 93, गत प्लॉट सं0– 1233/1492, नया खाता सं0– 83, नया प्लॉट सं0– 1392, रकवा– 9.91 डिसमील भूमि क्रेता अरविन्द कुमार, पिता– स्व0 लालजी सिंह, साकिम– भूली डी0 ब्लॉक, सेक्टर–3, क्वाटर नं0–157, पो0– श्रमिक नगर, थाना– बैंक मोड़, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के चंद्रवंशी–कहार है तथा दोनो एक ही थाना– बैंक मोड़, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 45.09 डिसमील शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 13:58:14 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner